राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2168/2025

सुशीला ढाका **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक अराजपत्रित एवं अति0 निदेशक प्रशासन, पंचायतीराज चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक पिपराली जिला सीकर।
4. बबीता कुमारी, एएनएम, पीएचसी बराल ब्लॉक पिपराली जिला सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.03.2025
आदेश की दिनांक : 11.03.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग के ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर पीएचसी बराल ब्लॉक पिपराली, सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पीएचसी राज्यास, तहसील फूलिया कला ब्लाक शाहपुरा, भीलवाड़ा में किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को पदस्थापित किया गया है। उक्त आलौच्य आदेश बिना प्रशासनिक आवश्यकता के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समंजित करने के आशय से जारी किया गया है। उक्त आलौच्य आदेश की पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20.01.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को दूरस्थ स्थान पर जिले के बाहर स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी के पति का वर्ष 2023 में दुर्घटना में पैर के दो टुकडे हो गए थे और उसका ऑपरेशन किया गया है। अपीलार्थी के पति के पैर में लोहे की रॉड डाल रखी है जिसका वर्तमान में उपचार चल रहा है और अपीलार्थी के अलावा उनकी देखरेख करने वाला अन्य कोई परिजन नहीं है। चिकित्सकीय दस्तावेज अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। माननीय उच्च न्यायालय ने डॉ. अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान

राज्य में पारित आदेश में किसी कार्मिक का समंजित करने के आशय से जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश को अनुचित एवं अवैध माना है। अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कार्मिक है और जिले से बाहर दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 20.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता संजीव सिंघल की तरफ से निवेदन किया गया कि आलौच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत सक्षम स्तर से जारी किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 20.01.2025 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का पीएचसी बराल ब्लॉक पिपराली, सीकर से पीएचसी राज्यास, तहसील फूलिया कला ब्लाक शाहपुरा, भीलवाड़ा किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समंजित करने का प्रश्न है प्रकरण के तथ्यों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर सितम्बर 2021 से पदस्थापित है। आलौच्य आदेश प्रशासनिक कारण एवं लोकहित में सक्षम स्तर से जारी किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं कब और कहां लेवे। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर अभ्यावेदन देने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

आलौच्य आदेश में कोई दुर्भावना निहित होना या नियम विरूद्धता होना नहीं पाये जाने के कारण अपील अपीलार्थी इसी प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य